भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1265
दिनांक 29 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

बच्चों में अत्यधिक कुपोषण

1265. श्री संजय सिंहः

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में नवंबर, 2020 तक 9.27 लाख से भी ज्यादा अत्यधिक कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुपोषण के मामले सर्वाधिक हैं;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या यह सच है कि आईसीडीएस की एक लेखा-परीक्षा के अनुसार, आवंटित 1,042 करोड़ रुपयों में से राज्य सरकारों को वास्तव में केवल 908 करोड़ रुपये ही संवितरित किये गये और पोषण अभियान के अंतर्गत जारी लगभग 4,300 करोड़ रुपये में से मार्च 2018 से दिसंबर 2019 तक लगभग 1,570 करोड़ रुपये ही व्यय किये गए थे; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : आईसीडीएस-आरआरएस पोर्टल के अनुसार (30 नवम्बर 2020 तक की स्थिति के अनुसार) देश में 927606 अत्यधिक कुपोषित (एसएएम) बच्चों (6 माह- 6 वर्ष) की पहचान की गई है जिनमें से 398359 बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत 6-36 माह के आयुवर्ग के अत्यधिक कुपोषित बच्चों सहित सभी बच्चों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा देश में समयबद्ध ढंग से कुपोषण कम करने तथा 0-6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 08 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया। बजट 2021-22 में घोषित पोषण मिशन 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) स्वास्थ्य, आयोग्यता तथा रोगों और कुपोषण के प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के विकास पर फोकस के साथ पोषण की मात्रा, प्रदायगी, पहुंच एवं परिणामों को सुदृढ़ करने के लिए एक समेकित पोषण समर्थन कार्यक्रम है। मिशन पोषण 2.0 के तहत देश के सभी लाभार्थी शामिल होंगे।

(ग) और (घ) : पोषण अभियान के तहत 2017-18 से 2020-21 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5312.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जिनमें से 2985.56 करोड़ रुपये का 31 मार्च 2021 तक उपयोग कर लिया गया है। आईसीडीएस तथा पोषण अभियान के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक ।** और **अनुलग्नक ।।** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

'बच्चों में अत्यधिक कुपोषण' विषय पर श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1265 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित विवरण

आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		2020-21
		निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त राशि	प्रयुक्त राशि	निर्मुक्त
1	आंध्र प्रदेश	70988.53	64201.8	69100.42	68577.36	69281.10
2	बिहार	115848.70	114124.51	127888.67	125363.59	127059.58
3	छत्तीसगढ	54868.36	48988.1	48339.67	54635.36	50434.13
4	गोवा	1660.28	1466.37	1559.15	1701.61	2024.07
5	गुजरात	63148.37	55687.48	68684.12	70856.28	61594.01
6	हरियाणा	21131.73	15875.11	18029.66	14964.65	18113.67
7	झारखंड	51573.37	44238.55	43355.99	42375.41	45784.76
8	कर्नाटक	91901.57	63861.64	76966.72	87667.51	68641.75
9	केरल	31092.42	27638.21	32140.86	33120.36	31991.60
10	मध्य प्रदेश	116552.92	102642.89	121491.90	125330.39	122037.59
11	महाराष्ट्र	171214.38	120255.4	133136.17	141074.95	118783.20
12	ओडिशा	79544.95	78269.34	85993.04	87708.97	84652.26
13	पंजाब	17631.87	19204.96	20144.35	17510.59	17029.04
14	राजस्थान	66618.80	57121.9	58453.75	59096.39	63125.61
15	तमिलनाडु	65197.17	54239.48	64868.45	65280.11	61071.19
16	तेलंगाना	44681.12	40659.02	45841.08	42008.41	39931.03
17	उत्तर प्रदेश	202972.91	223244.06	236406.00	245280.88	198558.94
18	पश्चिम बंगाल	124775.06	96158	116399.75	132046	104720.89
19	दिल्ली	9096.33	9694.33	13293.20	12385.06	10087.07
20	पुदुचेरी	472.38	163.33	489.43	642.63	424.39
21	हिमाचल	31881.17	23996.82	25181.85	25242.53	25552.07
22	जम्मू और कश्मीर	37406.56	37706.57	31999.86	32697.65	28902.02
23	उत्तराखंड	32798.93	32136.72	30309.77	33475.62	32450.25
24	अंडमान और निकोबारी	1291.31	1181.5	1190.78	1129.98	1525.44
25	चंडीगढ़	1416.88	1403.86	1347.93	1327.68	1227.33
26	डी. और नगर हवेली	534.55	523.09	573.81	561.65	901.54
27	दमन और दीव	272.33	267.21	267.58	261.47	2299.04
28	लक्षद्वीप	348.31	345.46	132.51	126.98	204.43
29	अरुणाचल प्रदेश	12389.79	14141.67	12430.77	13478.5	8191.64
30	असम	83867.16	91597.58	121893.00	122538.08	108068.38
31	मणिपुरी	16856.60	21178.08	16157.52	14224.04	17383.44
32	मेघालय	17661.64	18276.77	18484.66	18081.39	17693.12
33	मिजोरम	4465.18	4293.21	4814.39	5639.96	7421.38
34	नागालैंड	12138.78	12581.6	15370.48	15080.04	14921.34
35	सिक्किम	2003.53	1984.76	2023.90	2555.51	2429.48
36	त्रिपुरा	18714.14	15733.18	16615.07	16384.61	15237.47
कुल		**1675018.08**	**1515082.56**	**1681376.26**	**1730432.20**	**1579754.25**

* वर्ष 2020-21 के लिए निधियों का उपयोग आज की तिथि तक देय नहीं है।

अनुलग्नक-II

'बच्चों में अत्यधिक कुपोषण' विषय पर श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1265 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण

पिछले 4 वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 + आईएसएसएनआईपी का अप्रयुक्त शेष	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निर्मुक्त निधि	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निर्मुक्त निधि	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्मुक्त निधि	वर्ष 2020-21 के दौरान एडब्लयूडब्लयू/एडब्ल्यूएच के लिए अतिरिक्त 2 सेट साड़ी/स्थानीय पोशाक की खरीद के लिए निर्मुक्त निधियां	कुल	31.03.2021 तक केंद्रीय निधियों का उपयोग
1	आंध्र प्रदेश	2572.41	8604.68	13296.52	0.00	889.71	25363.32	16601.84
2	बिहार	7063.44	15001.67	25465.00	0.00	1835.49	49365.60	27823.99
3	छत्तीसगढ	1668.12	9629.51	0.00	0.00	839.58	12137.21	6505.25
4	दिल्ली	945.95	2206.88	0.00	0.00	174.35	3327.18	2432.58
5	गोवा	238.07	197.78	0.00	0.00	20.19	456.04	222.24
6	गुजरात	3036.66	11228.03	14863.00	0.00	848.47	29976.16	21769.01
7	हरियाणा	400.97	5992.46	0.00	0.00	415.39	6808.82	4326.00
8	झारखंड	2429.59	5110.45	0.00	0.00	614.91	8154.95	5245.93
9	कर्नाटक	3351.05	9870.89	0.00	0.00	1054.58	14276.52	11133.42
10	केरल	1273.37	6491.91	0.00	2679.61	529.84	10974.73	6696.51
11	मध्य प्रदेश	4067.20	15894.17	17883.00	0.00	1554.16	39398.53	18516.83
12	महाराष्ट्र	2572.31	20989.28	33061.47	0.00	1767.78	58390.84	40154.50
13	ओडिशा	4600.46	10571.65	0.00	0.00	1186.47	16358.58	7555.69
14	पुद्दुचेरी	39.24	393.70	497.00	0.00	13.68	943.62	264.58
15	पंजाब	819.51	6090.33	0.00	0.00	437.02	7346.86	2470.04
16	राजस्थान	4216.26	9680.99	8941.00	0.00	992.32	23830.57	10349.79
17	तमिलनाडु	1340.51	12210.93	11509.00	0.00	871.02	25931.46	19476.85
18	तेलंगाना	1736.94	8595.70	7003.00	0.00	571.20	17906.84	14824.33
19	उत्तर प्रदेश	8440.60	29582.87	16166.00	0.00	2779.49	56968.96	19219.28
20	पश्चिम बंगाल	5545.27	19294.11	0.00	0.00	1911.70	26751.08	0.00
21	अरुणाचल प्रदेश	52.93	2663.35	0.00	0.00	99.60	2815.88	708.11
22	असम	2298.27	15492.36	14171.00	0.00	987.04	32948.67	18117.52
23	हिमाचल प्रदेश	1557.26	4153.15	4960.00	0.00	302.80	10973.21	7010.78
24	जम्मू और कश्मीर	388.59	8297.70	0.00	0.00	492.24	9178.53	7912.09
25	मणिपुर	340.46	3865.37	0.00	0.00	184.16	4389.99	2138.40
26	मेघालय	462.98	1713.27	2802.80	0.00	94.34	5073.39	4979.05

27	मिजोरम	119.38	957.65	1498.00	122.03	35.90	2732.96	2575.03
28	नागालैंड	163.74	1251.97	2298.17	1550.11	63.68	5327.67	5239.26
29	सिक्किम	98.59	328.47	923.00	0.00	20.93	1370.99	1276.83
30	त्रिपुरा	277.91	3695.72	0.00	0.00	162.32	4135.95	3155.13
31	उत्तराखंड	1866.25	4301.57	7086.00	0.00	321.07	13574.89	7898.00
	कुल	**63984.29**	**254358.57**	**182423.96**	**4351.75**	**22071.43**	**527190.00**	**296598.86**
बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र								
32	अंडमान और निकोबार	100.22	416.89	307.62	100.00	11.52	936.25	421.44
33	चंडीगढ़	158.88	306.82	526.97	100.00	7.20	1099.87	513.96
34	दादर व नगर हवेली और दमन व दीव	108.83 42.06	129.32 197.66	436.16 446.98	100.00	0.00	1461.01	682.98
35	लद्दाख	0.00	45.82	0.00	100.00	18.77	164.59	51.41
36	लक्षद्वीप	60.00	138.90	126.75	100.00	1.71	427.36	287.27
	संपूर्ण	**469.99**	**1235.41**	**1844.48**	**500.00**	**39.20**	**4089.08**	**1957.06**
	कुल योग	**64454.28**	**255593.98**	**184268.44**	**4851.75**	**22110.63**	**531279.08**	**298555.92**

नोट:जम्मू-कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद पोषण अभियान के तहत केंद्रीय निधि से लद्दाख को ₹ 45.82 लाख दिए हैं। लद्दाख को यह आवंटन वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष में कुल रिलीज में अपरिवर्तित रखने के लिए दिखाया गया है।